गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

(भवन अनुभाग)

पत्रांक 978 सेक्टर 5 दिनांक 21/2/14

सेवा में,

श्री/श्रीमती/मेसर्स डा० अरविन्द तिवारी पुत्र स्व० डा० सी०एन० तिवारी

निवासी—शुक्ला निवास

गोरखपुर

आपके पत्र दिनांक 05/4/2013 मानचित्र सं० 716/2013 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी शुक्ला निवास भूखण्ड/भवन सं० 130,139,151 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभावन नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रेखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
7. आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम सौ पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपेन्सी) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे वा खिड़कियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजी की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
13. सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
14. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।

सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।

परविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।

द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 16/4/13 का पालन करना होगा।

मानचित्र की एक प्रति।

सचिव E.E.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण

गोरखपुर

18-2-14

67819

चालान संख्या [illegible] शाखा संख्या [illegible]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मानचित्र संख्या 716/2013 दिनांक 9.10.2013

नाम Dr Hirend Tiwari

मोहल्ला Kalepur

निर्माण आवासीय (आवासीय / व्यावसायिक / धार्मिक / शैक्षिक / अन्य)

जमा शुल्क का विवरण

कुल धनराशि (शब्दों में) Ten lakh ninety two thousand nine hundred thirteen only

ड्राफ्ट / चेक / ड्राफ्ट संख्या 86293

बैंक का नाम Oriental Bank of Commerce

जमा करने की तिथि 9.10.2013

विवरण	धनराशि	
	रुपया	पैसा
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क	1028636	
[illegible] शुल्क	64277	
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible]		
[illegible] शुल्क / [illegible]		
[illegible] / [illegible]		
[illegible] / [illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible]		

जमाकर्ता के हस्ताक्षर [illegible] 10,92,913-00

[illegible] 8 OCT 2013

[illegible] धनराशि प्राप्त कर प्राधिकरण के खाते में जमा किया।

[illegible]

हस्ताक्षर बैंक अधिकारी

दिनांक

चालान संख्या 67820 खाता संख्या [illegible]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मानचित्र संख्या 716/2013 दिनांक 4.10.2013

नाम Dr. Anand Tiwari

मोहल्ला Kalyanpur

निर्माण [illegible] आवासीय / व्यवसायिक / शैक्षिक / धार्मिक / अन्य

जमा शुल्क का विवरण

विवरण	धनराशि	
	रुपया	पै०
मानचित्र शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क		
[illegible] शुल्क	6,5212	
[illegible] शुल्क		
[illegible]		
[illegible] शुल्क		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] शुल्क		
योग [illegible]	4590612	

45,99,225-00

जमा राशि (शब्दों में) Forty four lakhs forty nine thousand two hundred twenty five only

चेक / ड्राफ्ट संख्या 563934

बैंक का नाम Oriental Bank

Ghosh

जमा करने की तिथि 4.10.2013

जमाकर्ता के हस्ताक्षर Anand [illegible]

8 Oct 2013

उपरोक्त धनराशि प्राप्त करके प्राधिकरण के खाते में जमा किया।

CLEARING

प्राप्तकर्ता बैंक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर बैंक अधिकारी

दिनांक